फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

रघुनाथ बनाम उमेश

मुकदमा नम्बर :– 36/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		बाउण्ड्स के आधार पर प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाता है प्राथमिक डिक्री जारी हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा०कि० किया गया। तहसीलदार चौमूं को कुर्रेजात हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बरन्तजार कुर्रेजात में रहकर आगामी दिनांक 30/01/25 को पेश हो। [signature]	
	30/1/25	वकील [illegible] आण्डोलेस / कार्य स्थगित [illegible] से पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 19/2/25 को पेश हो। [signature]	
	19/2/25	व. वादी उप० तहसीलदार चौमूं से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। बहस कुर्रेजात सुनी गयी। वकील वादी ने मुताबिक कुर्रेजात वाद के अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली व कुर्रेजात का अवलोकन किया गया। वादी का वाद मुताबिक कुर्रेजात अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः अन्तिम डिक्री जारी हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा०कि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर उर्जू नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)	वादी मुताबिक कुर्रेजात अन्तिम डिक्री हेतु निवेदन है [signature] 19/2/25

मु0सं0–36/2024
उनवान–रघुनाथ उर्फ रुगनाथ बनाम उमेश वगै0
निर्णय दिनांकः–19.02.2025

डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी :–प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

उनवान

रघुनाथ उर्फ रुगनाथ पुत्र श्री हनुमान सहाय, जाति अहीर, उम्र 60 वर्ष करीब, निवासी कुमावतों की ढ़ाणी, ग्राम हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. उमेश पुत्र शिवदयाल, उम्र वयस्क
2. पवन पुत्र शिवदयाल, उम्र वयस्क
3. महेश पुत्र शिवदयाल, उम्र वयस्क
4. रमेश पुत्र शिवदयाल, उम्र वयस्क
5. विनोद पुत्र शिवदयाल, उम्र वयस्क
6. शोभा पुत्री शिवदयाल, उम्र वयस्क
7. सुनिता पुत्री शिवदयाल, उम्र वयस्क
   समस्त जाति महाजन, निवासीयान ग्राम हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. जगदीश प्रसाद पुत्र बल्लूराम, उम्र वयस्क, जाति मीणा, निवासी ग्राम गुडलिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये उप–तहसीलदार महोदय, गोविन्दगढ़, उप–तहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
11. उप–पंजीयक महोदय, गोविन्दगढ़, उप–तहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :–36/2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियंका बड़गूजर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादित भूमि वाके ग्राम हस्तेड़ा, पटवार हल्का हस्तेड़ा, भू0अ0नि0 क्षेत्र हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित हाल खाता सं0 183 के हाल खसरा नं0 1028

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

0.02 है0, खसरा नं0 1029 / 1963 रकबा 0.37 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 39 हैक्टेयर भूमि का मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 10.02.2025 के अनुसार निम्न कार से बंटवारा किया जाता है:–

1. उमेश पुत्र शिवदयाल हिस्सा 1 / 72, पवन पुत्र शिवदयाल हिस्सा 1 / 72, महेश पुत्र शिवदयाल हिस्सा 1 / 72, रमेश पुत्र शिवदयाल हिस्सा 1 / 72, विनोद पुत्र शिवदयाल हिस्सा 1 / 72, शोभा पुत्री शिवदयाल हिस्सा 1 / 72, सुनिता पुत्री शिवदयाल हिस्सा 1 / 72 समस्त जाति महाजन सा0 देह खातेदार, रघुनाथ उर्फ रुगनाथ पुत्र हनुमान सहाय हिस्सा 5 / 8 जाति अहीर सा0 देह, जगदीश पुत्र बल्लूराम हिस्सा 5 / 18 जाति मीणा सा0 गुड़लिया खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1028 रकबा 0.02 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि जोकि नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. उमेश पुत्र शिवदयाल हिस्सा 51 / 1388, पवन पुत्र शिवदयाल हिस्सा 51 / 1388, महेश पुत्र शिवदयाल हिस्सा 51 / 1388, रमेश पुत्र शिवदयाल हिस्सा 51 / 1388, विनोद पुत्र शिवदयाल हिस्सा 51 / 1388, शोभा पुत्री शिवदयाल हिस्सा 51 / 1388, सुनिता पुत्री शिवदयाल हिस्सा 51 / 1388, समस्त जाति महाजन, सा0 देह खातेदार, जगदीश पुत्र बल्लूराम हिस्सा 1031 / 1388 जाति मीणा सा0 गुड़लिया खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1029 / 1963 / 1 रकबा 0.1388 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1388 हैक्टेयर भूमि जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. रघुनाथ उर्फ रुगनाथ पुत्र हनुमान सहाय हिस्सा सम्पूर्ण, जाति अहीर, सा0 420, कुमावतों की ढ़ाणी हस्तेड़ा खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1029 / 1963 / 2 रकबा 0.2312 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.2312 हैक्टेयर भूमि जोकि नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शायी गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 19.02.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत.............................
ओहदा.............................
कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

मु0सं0—36 / 2024
उनवान—रघुनाथ उर्फ रुगनाथ बनाम उमेश वगै0
निर्णय दिनांकः—19.02.2025

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	4 2	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	6	जोड़	0

[illegible] कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :—प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:—36 / 2024

उनवान

रघुनाथ उर्फ रुगनाथ पुत्र श्री हनुमान सहाय, जाति अहीर, उम्र 60 वर्ष करीब, निवासी कुमावतों की ढ़ाणी, ग्राम हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—वादी—

बनाम

1. उमेश पुत्र शिवदयाल, उम्र वयस्क
2. पवन पुत्र शिवदयाल, उम्र वयस्क
3. महेश पुत्र शिवदयाल, उम्र वयस्क
4. रमेश पुत्र शिवदयाल, उम्र वयस्क
5. विनोद पुत्र शिवदयाल, उम्र वयस्क
6. शोभा पुत्री शिवदयाल, उम्र वयस्क
7. सुनिता पुत्री शिवदयाल, उम्र वयस्क
   समस्त जाति महाजन, निवासीयान ग्राम हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. जगदीश प्रसाद पुत्र बल्लूराम, उम्र वयस्क, जाति मीणा, निवासी ग्राम गुडलिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये उप—तहसीलदार महोदय, गोविन्दगढ़, उप—तहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
11. उप—पंजीयक महोदय, गोविन्दगढ़, उप—तहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :—19.02.2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को सुना गया। वकील वादी द्वारा वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री के अनुसार आए कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांकित 10.02.2025 पर सहमति जताते हुए वादपत्र को अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली में सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वादपत्र तकासमा का है व खातेदारों का रिकॉर्ड व

चौमूं (जयपुर)

के अनुसार तकासमा किया जाना है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 10.02.2025 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम हस्तेड़ा, पटवार हल्का हस्तेड़ा, भू0अ0नि0 क्षेत्र हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित हाल खाता सं0 183 के हाल खसरा नं0 1028 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 1029 / 1963 रकबा 0.37 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.39 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता हैः–

1. उमेश पुत्र शिवदयाल हिस्सा 1 / 72, पवन पुत्र शिवदयाल हिस्सा 1 / 72, महेश पुत्र शिवदयाल हिस्सा 1 / 72, रमेश पुत्र शिवदयाल हिस्सा 1 / 72, विनोद पुत्र शिवदयाल हिस्सा 1 / 72, शोभा पुत्री शिवदयाल हिस्सा 1 / 72, सुनिता पुत्री शिवदयाल हिस्सा 1 / 72 समस्त जाति महाजन सा0 देह खातेदार, रघुनाथ उर्फ रुगनाथ पुत्र हनुमान सहाय हिस्सा 5 / 8 जाति अहीर सा0 देह, जगदीश पुत्र बल्लूराम हिस्सा 5 / 18 जाति मीणा सा0 गुड़लिया खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1028 रकबा 0.02 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि जोकि नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. उमेश पुत्र शिवदयाल हिस्सा 51 / 1388, पवन पुत्र शिवदयाल हिस्सा 51 / 1388, महेश पुत्र शिवदयाल हिस्सा 51 / 1388, रमेश पुत्र शिवदयाल हिस्सा 51 / 1388, विनोद पुत्र शिवदयाल हिस्सा 51 / 1388, शोभा पुत्री शिवदयाल हिस्सा 51 / 1388, सुनिता पुत्री शिवदयाल हिस्सा 51 / 1388, समस्त जाति महाजन, सा0 देह खातेदार, जगदीश पुत्र बल्लूराम हिस्सा 1031 / 1388 जाति मीणा सा0 गुड़लिया खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1029 / 1963 / 1 रकबा 0.1388 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1388 हैक्टेयर भूमि जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. रघुनाथ उर्फ रुगनाथ पुत्र हनुमान सहाय हिस्सा सम्पूर्ण, जाति अहीर, सा0 420, कुमावतों की ढ़ाणी हस्तेड़ा खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1029 / 1963 / 2 रकबा 0.2312 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.2312 हैक्टेयर भूमि जोकि नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शायी गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

अंतिम डिक्री जारी हो। नंजरी नक्शा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौमूं